संख्या- 6/2022/147/86-2022-01(बजट)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 08 फरवरी, 2022

विषयः- खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद बागपत में एन0एच0ए0आई0 पर स्थापित चेकगेट्स के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2498/87ए-478(प्रस्तुतीकरण)।।। दिनांक 06.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद बागपत में लगाये जाने वाले कैन्टीलीवर पोल के स्थान पर लगाये गये गैन्ट्री संरचना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के पूंजी लेखाशीर्षक -4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूजीगत परिव्यय-01 खनिज अन्वेषण तथा विकास 800 अन्य व्यय-04 खनन विकास की योजनाओ-0401 एक मुश्त व्यवस्था के मानक मद-''26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) के पक्ष में रू0 10,20,228.00 (रूपये दस लाख बीस हजार दो सौ अट्ठाइस मात्र) की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागपत में लगाये गये गैन्ट्री संरचना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के पूंजी लेखाशीर्षक-4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूजीगत परिव्यय-01 खनिज अन्वेषण तथा विकास 800 अन्य व्यय-04 खनन विकास की योजनाओ-0401 एक मुश्त व्यवस्था के मानक मद-''26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) के पक्ष में रू0 10,20,000.00 (रूपये दस लाख बीस हजार मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल एतद्द्वारा, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, प्रदान करते हैं-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रस्तावित सामग्री/उपकरणों/मशीनों का क्रय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया तथा इस संबंध में शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया गया।
(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की गई सामग्री/उपकरणों/मशीनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।
(4) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा , एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा तथा आहरण की गयी धनराशि पी0एल0 ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।
(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री/उपकरणों/मशीनों के क्रय में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
(6) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित की जायेगी।
(7) यथा समय व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक ''4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत

shasanadesh.up.nic.in

परिव्यय''-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था-मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामें डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा अशासकीय संख्या-ई-6-3448-दस-2021-22 दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से प्रदान की गई सहमति के अनुसार निर्गत किया जा रहा हैं।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः 147(1)/86-2022, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in